संख्या- 47 /2024/ 881 /26-3-2024/CN-1322906

प्रेषक

रजनीकान्त पाण्डेय,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
जनजाति विकास,
उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक : 14 मार्च, 2024

विषय - चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में संविधान के अनुच्छेद-275(1) के अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यता) अधिनियम-2006 के प्रभावी क्रियान्यन एवं अनुश्रवण हेतु वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-06/32/ज0जा0वि0/2023-24 दिनांक 10.04.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में संविधान के अनुच्छेद-275(1) के अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यता) अधिनियम-2006 के प्रभावी क्रियान्यन एवं अनुश्रवण हेतु वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में संविधान के अनुच्छेद-275(1) के अन्तर्गत अनुदान संख्या-81 के लेखाशीर्षक-2225-02-796-01-0104-संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के अन्तर्गत जनजातियों के कल्याण के लिये विकास कार्यक्रमों के संचालन हेतु (के. 100 / रा.0)-42-अन्य व्यय मद में प्राविधानित धनराशि रू0-100.00 लाख के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू0-27,243/- (रूपये सत्ताईस हजार दो सौ तैंतालिस मात्र) की स्वीकृति वनाधिकार अधिनियम-2006 के प्रभावी क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु निर्गत किये जाने की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं :-

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1)- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य प्रायोजन हेतु नही किया जायेगा। किसी प्रकार की विचलन की स्थिति में आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

(2) - उक्त धनराशि इस शर्त के साथ निर्गत की जा रही है कि इस सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों/वित्तीय नियमों का कड़ाई से पालन किया जायेगा।

(3)- उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज तथा शासन को ससमय उपलब्ध कराया जायेगा ।

(4)- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक-17.03.2023 में दिये गये दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(5)- अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकता एवं नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को बैंक खाते आदि में नही रखा जायेगा।

(6)- स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी मद में किया जायेगा, जिस मद हेतु धनराशि की व्यवस्था की गयी है।

(7) - स्वीकृत धनराशि का भुगतान योजना की नियमावली एवं भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार किया जायेगा।

(8) - स्वीकृत धनराशि कोषागार से आहरित कर योजना से सम्बन्धित SNA (Single Nodal Account) में जमा की जायेगी।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रू0-27,243/- (रूपये सत्ताईस हजार दो सौ तैंतालिस मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20232024 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 081 लेखा शीर्षक 2225027960104 सविधान के अनुच्छेद 275 (1) के अन्तर्गत जनजातियों के कल्याण के लिए विकास कार्यक्रमों के संचालन हेतु (के. 100/ रा.0-के.) मानक मद 42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश कम्प्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-4-264-X-2023-24, दिनांक-11.03.2024 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

Digitally Signed by रजनी कान्त पाण्डेय
Date: 14-03-2024 11:20:31
Reason: Approved

भवदीय,

(रजनीकान्त पाण्डेय)
उप सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उ0प्र0 लखनऊ।
4- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।
5- मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, निदेशालय, जनजाति विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
7- निदेशक, एन0आई0सी0, लखनऊ।
8- गार्ड फाइल।

(रजनीकान्त पाण्डेय)
उप सचिव।